न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 11 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. चुतराराम पुत्र कानाराम 2. किशनाराम पुत्र कानाराम 3. मेहराराम पुत्र कानाराम का.मु. 3/1बगताराम पुत्र मेहराराम 3/2देवाराम पुत्र मेहराराम 3/3नेनूदेवी पत्नी मेहराराम 4. नानकचंद पुत्र भगवानाराम 5. पुरखाराम पुत्र भगवानाराम 6. लिखमाराम पुत्र भगवानराम 7. चेतनराम पुत्र भगवानाराम जातियान जाट निवासीयान केरली नाडी नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर	1. ठाकराराम पुत्र ताजाराम 2. भगाराम पुत्र ताजाराम का.मु. 2/1जगदीश पुत्र भगाराम 2/2नरेद्र पुत्र भगाराम 2/3झीमो पत्नी भगाराम 3. रामचन्द्र पुत्र वीरमाराम 4. गणेशसिंह पुत्र वीरमाराम 5. जेठाराम पुत्र वीरमाराम 6. गवरी पत्नी वीरमाराम 7. राजेन्द्रसिंह पुत्र अमराराम 8. रायसिंह पुत्र अमराराम 9. चेतनसिंह पुत्र अमराराम 10. करनाराम पुत्र आसूराम 11. दुर्गाराम पुत्र आसूराम 12. गणपत पुत्र आसूराम 13. भीखो पत्नी आसूराम 14. हुकमाराम पुत्र भूराराम 15. भंवराराम पुत्र भूराराम 16. कानाराम पुत्र भूराराम 17. तगाराम पुत्र भूराराम 18. पनी पत्नी भूराराम जातियान जाट निवासीयान केरली नाडी नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर 19. श्री शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी बैंक सिणधरी 20. श्री शखा प्रबन्धक आर एम जी बी बैंक चवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	21. श्री शखा प्रबन्धक पी एन बी बैंक बायतु 22. श्री शखा प्रबन्धक बी सी सीबी बैंक सिणधरी 23. श्री शखा प्रबन्धक एस बी बी जे बैंक बायतु 24. श्रीमान तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2016 बअनवान ठाकराराम वगैरा बनाम चुतराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल, श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—02.03.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा नोसर तहसील बायतु में वादीगण/उतरदातागण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 27 रकबा 173.02 बीघा का आया हुआ है। यह खेत भू प्रबंध के दौरान वादीगण के वालिदान की खातेदारी में दर्ज होकर विरासत में वादीगण को प्राप्त हुआ। प्रतिवादीगण वादीगण के सेढा पड़ौसी है तथा उनकी खातेदारी का खेत खसरा संख्या 26 वादीगण के खेत खसरा संख्या 27 के पडौस में है प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर में एक वाद अनवान भगवाना वगैरा बनाम रामा वगै के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया था कि खसरा संख्या 27 में से रकबा 50 बीघा जो उनकी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 26 का ही भाग है को उनकी खातेदारी का होना घोषित किया जाये। उक्त वाद को दिनांक 18.04.1962 को खारिज किया गया। जिसकी प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गई जो रिमाण्ड होकर आवश्यक निर्देश के साथ पुनः विचारण न्यायालय को प्राप्त हुई। तारीख पेशी दिनांक 20.05.1966 को वादी भवाना व प्रतिवादी आसुराम ने उपस्थित होकर बिना अपने अधिवक्ता की उपस्थिति के एक राजीनामा पेश किया जिसमें खसरा संख्या 27 से प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा संख्या 26 को देना स्वीकार किया यह राजीनामा न तो पक्षकारान के अधिवक्तागण की जानकारी में लाया गया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न पक्षकारान की किसी ने पहचान दी और न इस राजीनामा को किसी सक्षम अधिकारी ने तस्दीक किया तथा बिना तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 14.09.1966 को दोनो पक्षों के अधिवक्तागण ने हिदायत पैरवी न होना प्रकट किया और वादीगण का वाद अदम हाजरी पक्षकार व अदम पैरवी में खारिज हो गया। वाद संख्या 299/1962 की अंतिम आदेशिका दिनांक 14.09.1966 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 26 मौजा नौसर के खातेदारान वादीगण को अपने वाद में सफलता नहीं मिली और न खसरा संख्या 27 से कोई रकबा उन्हे प्राप्त हुआ। पटवारी निरीक्षक व सरपंच को प्रभावित कर अपने पक्ष में बिना खातेदारान की जानकारी में लाये खसरा संख्या 27 में से रकबा 35 बीघा अपने पक्ष में दर्ज कराने हेतु नामान्तकरण संख्या 197 मौजा नौसर का संधारण कराकर दिनांक 24.07.1974 को तत्कालीन सरपंच से स्वीकृत कराकर रेकर्ड में अपने पक्ष में अमल दरामद करवा दिया तत्पश्चात आपस में बंटवाड़ा करवा दिया गया। वादीगण की खातेदारी को विधि विरूद्ध जाकर कम की गई जिसे प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त हुई। तब मझबूरन वादीगण/रेस्पोडेंटस को हस्तगत वाद पेश करना पड़ा। अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री को पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विवादग्रस्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया था जो राजीनामा पक्षकारान ने आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर किया था जिसके आधार पर पंचायत में नामांतरकरण भरने बाबत पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण भी पारित कर दिया था उस राजीनामा व नामान्तरकरण की कार्यवाही को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पी सी के पेश किया जिसे दिनांक 08.03.2017 को खारिज कर दिया था जिस आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण की ओर से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिविजन भी पेश किया गया जो रिविजन वर्तमान तक विचाराधीन है उक्त रिविजन के विचारण के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2020 पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कोविड–19 के महामरी के समय पारित किया गया जबकि उस समय पक्षकारों का न्यायालय में उपस्थित होना वर्जित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप अपना पक्ष रखने व दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं लिये ओर न ही पत्रावली में विधिक व न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई मनमाने ढंग से विधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर व विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया की अवज्ञा कर उक्त निर्णय पारित किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2016 Page 632

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि सरहद मौजा नोसर तहसील बायतु में वादीगण/उतरदातागण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 27 रकबा 173.02 बीघा का आया हुआ है। यह खेत भू प्रबंध के दौरान वादीगण के वालिदान की खातेदारी में दर्ज होकर विरासत में वादीगण को प्राप्त हुआ। प्रतिवादीगण वादीगण के सेढा पड़ौसी है तथा उनकी खातेदारी का खेत खसरा संख्या 26 वादीगण के खेत खसरा संख्या 27 के पडौस में है प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर में एक वाद अनवान भगवाना वगैरा बनाम रामा वगै के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया था कि खसरा संख्या 27 में से रकबा 50 बीघा जो उनकी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 26 का ही भाग है को उनकी खातेदारी का होना घोषित किया जाये। उक्त वाद को दिनांक 18.04.1962 को खारिज किया गया। जिसकी प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गई जो रिमाण्ड होकर आवश्यक निर्देश के साथ पुनः विचारण न्यायालय को प्राप्त हुई। तारीख पेशी दिनांक 20.05.1966 को वादी भवाना व प्रतिवादी आसुराम ने उपस्थित होकर बिना अपने अधिवक्ता की उपस्थिति के एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजीनामा पेश किया जिसमें खसरा संख्या 27 से प्रतिवादीगण ने वादीगण के खसरा संख्या 26 को देना स्वीकार किया यह राजीनामा न तो पक्षकारान के अधिवक्तागण की जानकारी में लाया गया, न पक्षकारान की किसी ने पहचान दी और न इस राजीनामा को किसी सक्षम अधिकारी ने तस्दीक किया तथा बिना तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 14.09.1966 को दोनो पक्षों के अधिवक्तागण ने हिदायत पैरवी न होना प्रकट किया और वादीगण का वाद अदम हाजरी पक्षकार व अदम पैरवी में खारिज हो गया। वाद संख्या 299/1962 की अंतिम आदेशिका दिनांक 14.09.1966 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 26 मौजा नौसर के खातेदारान वादीगण को अपने वाद में सफलता नहीं मिली और न खसरा संख्या 27 से कोई रकबा उन्हे प्राप्त हुआ। पटवारी निरीक्षक व सरपंच को प्रभावित कर अपने पक्ष में बिना खातेदारान की जानकारी में लाये खसरा संख्या 27 में से रकबा 35 बीघा अपने पक्ष में दर्ज कराने हेतु नामान्तकरण संख्या 197 मौजा नौसर का संधारण कराकर दिनांक 24.07.1974 को तत्कालीन सरपंच से स्वीकृत कराकर रेकर्ड में अपने पक्ष में अमल दरामद करवा दिया तत्पश्चात आपस में बंटवाड़ा करवा दिया गया। अपीलांटगण को हस्तगत वाद की पूर्ण जानकारी थी तथा अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जिस कारण अपीलांटगण ने जानबुझकर बाद में अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर नहीं हुये थे ऐसी स्थिति में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर न दिये जाने का तथ्य सरासर गलत व मनगढत है जिस कारण अपीलांटगण को हस्तगत अपील पेश करने का अवसर भी समाप्त हो गया। अपीलांटगण ने आपति की है कि अपीलाधीन निर्णय मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित किया गया लेकिन अपीलांटगण स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत पक्षकार की सूचना नहीं दी गई। इसलिए तकनीकी आधार पर उतरदातागण/वादी को न्याय से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटगण की अपील को सव्यय खारिज फरमाई जावे। उतरदातागण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2022(1) Page 165
RRT 2019(2) Page 1550

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया। कुछ अर्सा पूर्व के सी सी के लिए हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल हासिल करने हेतु गये तो सर्वप्रथम हल्का पटवारी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2020 के बारे में जानकारी दी तब अपीलांटगण ने आलोच्य निर्णय व डिक्री की प्रमाणित नकले दिनांक 5.03.2021 को मांगी जो तैयार होकर अपीलांटगण को उसी दिन प्राप्त हुई और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1995 Page 576
RRT 2018(1) Page 601
RRT 2017(2) Page 1105

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। उतरदाता अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2010(2) Page 801
RRT 2007(2) Page 788
DNJ 2011(2) Page 903

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 03 मेहराराम पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कानाराम के विरूद्ध पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जबावदावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.06.2020, 21.09.2020 व 06.10.2020 की मंशा यह है कि कोविड–19 के दौरान किसी भी पक्षकार के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में नहीं लाई जावेगी जबकि दिनांक 15.07.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफ कार्यवाही की गई। हस्तगत वाद में अपीलांटगण का जबावदावा लेकर मूल वाद एवं जबावदावे के अनुसार तनकीयात कायम कर निर्णय भी तनकीवार पारित किया जाना था जिसका उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत एवं विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आनन–फानन में जल्दबाजी में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन अध्ययन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपीले रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाज अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 35/2016 बअनवान ठाकराराम वगैरा बनाम चुतराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर मूल दावे एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर